



**समाहरणालय, नवादा।**  
(जिला प्रोग्राम कार्यालय)  
(आई0सी0डी0एस0)



**नियोजन-पत्र**

निदेशक, आई0सी0डी0एस0, बिहार, पटना के पत्रांक-2621, दिनांक- 17.05.2019 से प्राप्त दिशा-निर्देश, राज्य स्तरीय प्रकाशित विज्ञापन एवं पत्रांक-2723, दिनांक-25.05.2019 के आलोक में जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) के तहत नवादा जिला अंतर्गत प्रखंड स्तर पर अनुबंध आधारित पद - प्रखंड समन्वयक के पद पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को संविदा पर नियोजित किया जाता है।

क्र0सं0	नियोजित व्यक्ति का नाम	पिता का नाम	नियोजित अभ्यर्थी का कोटि	निर्धारित मानदेय राशि	अभ्युक्ति
1.	प्रहलाद कुमार	अनुरंजन सिंह	Gen	20,000/-	
2.	सावक्षी	कृष्णामुरारी शर्मा	Gen		
3.	मनीसा कुमारी	उपेन्द्र सिंह	Gen		
4.	सोनुमल	ब्रह्मदेव प्रसाद	EBC		
5.	सतीश कुमार	महेन्द्र प्रसाद	BC		
6.	रजनीश राज	शिव शंकर पंडित	EBC		
7.	नीरज कुमार	शम्भु प्रसाद	BC		
8.	शशि रंजन	अरुण कुमार सिंह	GEN-RES		
9.	सुमन कुमार आर्य	मौजी प्रसाद	EBC		
10.	अंकिता कुमारी	बालदेव प्रसाद यादव	BC		
11.	प्रीति कुमारी	राज किशोर राज	SC		
12.	आकाश कुमार	सुरज प्रसाद	EBC		
13.	फरहा नाज	मो0 नेजामउद्दीन अन्सारी	EBC		
14.	बेबी कुमारी	राजेन्द्र पासवान	SC		

- नियोजन-संविदा शर्त, सेवा अवधि एवं अन्य शर्तें बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश के अनुरूप होगा।
- संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पुर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है एवं इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात् सेवा में नियमितिकरण का दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। इनका नियोजन (पोषण अभियान) के अधीन होगा।
- संविदा एकरारनामा संविदा शर्तों के अनुसार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के साथ किया जायेगा।
- नियोजन संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद/शिकायत का निपटारा जिला पदाधिकारी स्तर पर किया जायेगा तथा आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के कार्यालय में अपील किया जा सकता है।
- समस्याओं के निराकरण हेतु बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश के अनुसार लागू होगी।
- नियोजित व्यक्ति को पत्र निर्गत की तिथि से 07 (सात) दिनों के अन्दर अपना योगदान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, नवादा के समक्ष देना अनिवार्य होगा।
- नियोजन के उपरान्त विभागीय पत्र में निहित नियम एवं शर्तों के अनुसार मानदेय राशि का भुगतान योगदान की तिथि से देय होगा।

*Kaly*  
12/2020  
जिला पदाधिकारी,  
नवादा।